प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री **प्रितींकर दिवाकर**

दाण्डिक अपील क्र. 901/1997

अपीलार्थीगण : राम सेवक व अन्य

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य

निर्णय उद्घोषित करने के लिए 06.09.2012 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

प्रितींकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

05.09.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री **प्रितींकर दिवाकर**

दाण्डिक अपील क्र. 901/1997

<u>अपीलार्थीगण</u> : राम सेवक व अन्य

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> : मध्यप्रदेश राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दांडिक अपील का ज्ञापन

उपस्थित:- अपीलार्थीगण की ओर से : श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता : श्रीविवेक शर्मा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(06/09/2012)

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जांजगीर, द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 155/1994 में दिनांक 9.4.1997 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगणो को धारा 498-ए भा. द. सं. के दोषसिद्ध पाया गया है और उनमें से प्रत्येक को, दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में, चार महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. वर्तमान मामले में मृतका रूपकला, आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक – 1, राम सेवक की पत्नी हैं और रामसेवक एवं उसका विवाह जून 1986 में संपन्न हुआ था। 12.10.1993 को मृतका की 90% जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। मृतका के बहनोई भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा मर्ग की सूचना (प्रदर्श पी-7) दी गई थी और मर्ग की जांच के बाद, 6.12.1993 को आरोपी/अपीलार्थीगणो के खिलाफ एफआईआर (प्रदर्श पी-10) दर्ज की गई और आरोपी भुवनेश्वर प्रसाद और अहिलिया बाई को भा. द. सं. की धारा 306/34 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया। मृतका के शव का शवपरीक्षण 13.10.1993 को डॉ. यू.सी. शर्मा (अ. सा.-6) द्वारा किया गया (प्रदर्श पी-6)। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण गंभीर जलने से उत्पन्न आघात था। अन्वेषण पूरी होने के बाद, सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 306/34 के तहत अपराध के लिए अभियोग पत्र दायर किया गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उनके खिलाफ केवल भा. द. सं. की धारा 306 के तहत ही विरचित किये गए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों के परीक्षण कराये है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता और मामले में झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी भुवनेश्वर प्रसाद और अहिलिया बाई को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वर्तमान अपीलार्थीगणो को भी धारा 306 के तहत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है, लेकिन उन्हें धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत सिद्धदोष गया और सजा सुनाई गई है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थीगणो के अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थीगणो के खिलाफ धारा 306 भा. द. सं. के तहत आरोप विरचित किए गए थे, इसलिए धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत उन पर आरोप न होने के कारण उन्हें दोषी ठहराना कानून के तहत अनुमेय नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यदि अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को यथावत भी लिया जाए, तो भी धारा 498-ए भा. द. सं. के तत्व इस वर्तमान प्रकरण लागू नहीं होते हैं। उनका कहना है कि अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थीगणो को धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में इसके मूलभूत तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। अंत में, उनका कहना है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता राम सेवक लगभग 50 दिनों से जेल में है और अभियुक्त/अपीलकर्ता क्रमांक 2 एक महिला है। अपीलार्थीगणो के अधिवक्ता के अनुसार, यदि इस न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि अपास्त नहीं की जाती है, तो उन पर अधिरोपित गई सजा को उनके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी /राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कहा कि धारा 306 भा. द. सं. के तहत आरोप विरचित करते समय, आरोपियों पर मृतका के साथ की गई क्रूरता का स्पष्ट आरोप लगाया गया था और उन्हें अपने ऊपर लगाए गए आरोप की प्रकृति को जानने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। उनके अनुसार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत आरोपी/अपीलार्थीगणो को दोषी ठहराकर उन्हें आश्चर्यचकित किया हो। उनका कहना है कि ऐसे मामले में जहां किसी बड़े अपराध का आरोप लगाया गया हो, आरोपी/अपीलार्थीगणो को हमेशा छोटे संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और इस प्रकार धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत आरोपी/अपीलार्थीगणो को दोषी

ठहराने में कोई अवैधता नहीं है। इसके अलावा, उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों, विशेष रूप से राही बाई (अ. सा.-1), श्रीमती जसोत्री कौशिक (अ. सा.-2), श्रीमती. चंद्रकला कौशिक (अ. सा.-3), नंदकिशोर (अ. सा.-7) और श्रीमती दंकुमारी कौशिक (अ. सा.-9) ने स्पष्ट रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गवाही दिया है और इसलिए भी धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत आरोपी/अपीलार्थीगणो को दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओ की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

8. मृतका की माता राही बाई (अ. सा.-1) ने बताया कि मृतका का विवाह आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, राम सेवक से घटना की तारीख से लगभग सात वर्ष पूर्व हुआ था और इस दौरान उसने दो बच्चों को जन्म दिया। त्योहारों के अवसर पर, जब आरोपी उसे उसके घर भेजते थे, तो उसने बताया कि उसके ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उसे उचित भोजन और वस्त्र नहीं दिए जाते थे, यहाँ तक कि उसे खाना पकाने की भी अनुमति नहीं थी। राही बाई ने मृतका को यह कहकर समझाया कि धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अपने छोटे बेटे और बेटी के विवाह के समय, मृतका आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, के साथ उसके घर आई थी और उस समय भी उसने झगड़ा किया और मृतका को उसके घर से जाते समय दिए गए कपड़े फेंककर वापस ले गया। अपनी बेटी (मृतका) की जलने से हुई मृत्यु की सूचना मिलने पर, उनके बेटे और बहू जांजगीर गए, जहाँ मृतका का शव देखकर उनके मन में संदेह हुआ कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। घटना से एक दिन पहले, उनके पोते राजेश मृतका को उनके घर ले जाने गए थे, लेकिन आरोपियों ने यह कहकर उसे अपने साथ नहीं भेजा कि वे करतला जा रहे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हैं। आरोपियों ने मृतका की मृत्यु के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी थी। इस अभियोजन साक्षी के अनुसार, आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए बरपाली और करतला में पदस्त था और वे अपनी बेटी को अपने साथ पदस्थापना स्थल पर ले जाते थे और फिर उसे अपने घर छोड़ देते थे। उनके अनुसार, पदस्थापना स्थल पर मृतका को अपने साथ रखते हुए भी वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। त्योहारों के समय जब भी वह मृतका को उसके घर लाता, तो झगड़ा करता और फिर उसे वापस ले जाता। उसके अनुसार, शादी के एक साल बाद ही मृतका ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया था। मृतका गांव कपान में रहने वाली अपनी मौसी से भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत करती थी। आगे के अनुच्छेदों में भी इस अभियोजन साक्षी ने विस्तार से बताया है कि आरोपियों द्वारा मृतका पर किस प्रकार अत्याचार किया गया। मृतका की भाभी श्रीमती जमोत्री कौशिक (अ. सा.-2) ने बताया कि शादी के बाद जब भी मृतका उनसे मिलती, तो वह बताती कि आरोपियों/अपीलार्थीगणो द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था और उन्हें भोजन और वस्त्र से वंचित रखा जाता था। उनके अनुसार, मृतका उन्हें बताती थी कि छोटी-छोटी बातों पर आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, उन्हें पीटता था। अपनी दूसरी भाभी (ननद) की शादी के समय जब मृतका उनके घर आई थी, तो उसने उनसे साड़ी मांगी क्योंकि उसके पास साड़ी नहीं थी। उस समय भी आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, ने मृतका से झगड़ा किया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। प्रति परीक्षण में उसने इस बात को दोहराया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मृतका को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया और उसके साथ क्रूरता की गई। मृतका की बहन श्रीमती चंद्रकला कौशिक (अ. सा.-3) ने राही बाई (अ. सा.-1) और श्रीमती जमोत्री कौशिक (अ. सा.-2) के समान ही बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन (मृतका) उन्हें बताया करती थी कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया जाता था। मृतका के बड़े भाई नंद किशोर (अ. सा.-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7) ने भी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ विशेष आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बहन (मृतका) उन्हें बताया करती थी कि उसके साथ क्रूरता की जाती थी। आरोपी व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न का भी आरोप है। उन्होंने आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपनी बहन (मृतका) के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कई उदाहरण दिए हैं। मृतका की भाभी श्रीमती दंकुमारी कौशिक (अ. सा.-9) ने राही बाई (अ. सा.-1), श्रीमती जमोत्री कौशिक (अ. सा.-2), श्रीमती चंद्रकला कौशिक (अ. सा.-3) और नंद किशोर (अ. सा.-7) की तरह ही बयान दिए हैं। विनय सिंह (अ. सा.-4) मर्ग नोटिस (प्रदर्श पी-1) और मर्ग (प्रदर्श पी-2) के अभियोजन साक्षी हैं। नंदराम (अ. सा.-5) पटवारी हैं जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया था। डॉ. यू.सी. शर्मा (अ. सा.-6) अभियोजन साक्षी हैं जिन्होंने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया (प्रदर्श पी-6) और सुझाव दी कि मृत्यु का कारण जलने से लगी चोट के कारण सदमा था। एम.एल. शांडिल्य (अ. सा.-8) जांच अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। एन.आर. राठौर (अ. सा.-10) और रामेश्वर द्विवेदी (अ. सा.-11) वे अभियोजन साक्षी हैं जिन्होंने जांच में सहायता की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. गवाहों, विशेष रूप से राही बाई (अ. सा.-1), श्रीमती जमोत्री कौशिक (अ. सा.-2), श्रीमती चंद्रकला कौशिक (अ. सा.-3) और नंद किशोर (अ. सा.-7) के साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच से यह स्पष्ट होता है कि मृतका को आरोपी/अपीलार्थीगणो द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थीगणो को धारा 498-ए भा. द. सं. के तहत सिद्धदोष में पूर्णतः न्यायसंगत निर्णय लिया था और इसमें कोई दुर्बलता नहीं है।

10. इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलार्थीगणो के अधिवक्ता की इस तर्क में कोई दम नहीं लगता कि, चूंकि भा. द. सं. की धारा 498-ए के तहत कोई विशिष्ट आरोप विरचित नहीं किया गया था और केवल भा. द. सं. की धारा 306 के तहत आरोप विरचित किया गया

था, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थीगणो को भा. द. सं. की धारा 498-ए के तहत सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में, 17.4.1995 को अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ निम्नलिखित तरीके से आरोप विरचित किए थे:-

रामसेवक –

ता : 12.10.93 ग्राम कांपन में तुम राम सेवक की पत्नी, तुम बिमलाबाई की सास तथा तुम अहिल्याबाई एवं भुनेश्वर की भौजाई रुप कला गौतम को तुमने शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जिसकी वजह से रुपकला गौतम द्वारा अपने शरीर पर घासलेट डालकर आग लगाकर आत्महत्या की गई। इस प्रकार तुमने भा.दं.वि. की धारा 306 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विमला बाई - ताः 12.10.93 गाम कांपन में तुम रामसेवक की पत्नी, तुम बिमलाबाई की सास तथा तुम अहिल्या बाई एवं भुनेश्वर की भौजाई रुपकला गौतम को तुमने शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जिसकी वजह से रुपकला गौतम द्वारा अपने शरीर पर घासलेट डालकर आग लगाकर आत्महत्या की गई। इस प्रकार तुमने भा. दं. वि. की धारा 306 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध किया है।

भा. द. सं. की धारा 498-ए इस प्रकार है :

498ए - किसी महिला के **पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना**। जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, उस महिला पर क्रूरता करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

भा. दं. सं. की धारा 498-ए की भाषा की तुलना अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विरचित आरोप से करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों को इस बात की जानकारी थी

कि उन पर मृतका के प्रति क्रूरता का आरोप है। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि यदि अभियुक्तों पर गंभीर अपराध का आरोप विरचित किया जाता है, तो उन्हें कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

घटना की सामान्य परिस्थितियों में, एक ही श्रेणी में आने वाले अपराधों के संबंध में गंभीर और कम गंभीर अपराधों का प्रश्न उठता है और आमतौर पर ये श्रेणियां आपस में भिन्न नहीं होतीं। अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार सभी साक्ष्य एकत्र करे और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगाए गए आरोप को संदेह युक्तियुक्त से परे साबित कर सके। केवल उन्हीं मामलों में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यदि न्यायालय का यह मत हो कि गंभीर अपराध गुण-दोष के आधार पर या तकनीकी चूक के कारण सिद्ध नहीं हुआ है, तो वह आरोपी को कम गंभीर प्रकृति और सार के अपराध के लिए दंडित कर सकता है। न्यायालय को उन तत्वों को ध्यान में रखना होगा जो दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आपराधिक अपराध का गठन करते हैं। यह न केवल आरोपित अपराध के मामले में आवश्यक है, बल्कि विभिन्न दंड प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन के मामले में भी आवश्यक है, क्योंकि आरोपी ने एक से अधिक अपराध या यहां तक कि अधिक गंभीर प्रकृति के अपराध भी किए हो सकते हैं। यदि कानून अनुमति देता है और आवश्यक तत्व संतुष्ट होते हैं, तो उसे अंततः कम गंभीर अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है या इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि कम गंभीर अपराध के तत्व भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो किसी विशेष मामले में न्यायालय के लिए व्यक्ति को कम गंभीर प्रकृति के अपराध के लिए दोषी ठहराना कठिन हो सकता है। इसलिए, जहां अपराध समान विशेषताओं वाले समरूप अपराध हैं, और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों द्वारा विधिवत समर्थित हैं, वहां न्यायालय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्त को किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न होने की शर्त पर, एक या दूसरे अपराध के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जिसका विवरण **(2004) 5 एससीसी 334** में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> 17. इस न्यायालय के इसी विषय पर निर्णय की श्रृंखला हैं और उनमें से प्रत्येक का उल्लेख करके इस निर्णय को बोझिल बनाना आवश्यक नहीं है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 को देखते हुए, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय किसी ऐसे अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहरा सकता है जिसके लिए कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया था। जब तक न्यायालय की राय न हो कि न्याय में वास्तव में विफलता होगी। यह तय करने के लिए कि न्याय में विफलता हुई है या नहीं, यह जांच करना प्रासंगिक होगा कि क्या आरोपी उस अपराध के मूल तत्वों से अवगत था जिसके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया जा रहा है और क्या उसके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे स्पष्ट रूप से समझाया गया था और क्या उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर मिला था। इसलिए, हमारी सुझाव है कि *संगराबोनिया श्रीनु* का निर्णय सही नहीं था क्योंकि यह कानून के सिद्धांत के रूप में यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि जहां आरोपी पर धारा 302 भा. दं. सं. के तहत आरोप लगाया गया है, उसे धारा 306 भा. दं. सं. के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

11. वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्तों/ अपीलार्थीगणो के विरुद्ध आरोपित आरोप की भाषा स्पष्ट है और अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को मृतका के प्रति शारीरिक और मानसिक क्रूरता करने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। अतः, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगणो को उस अपराध के मूल तत्वों की जानकारी थी जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। भा. दं. सं. की धारा 498-ए और अभियुक्तों/अपीलार्थीगणो के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप के आधार पर बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। अतः, उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भा. दं. सं. की धारा 498-ए के तहत अभियुक्तों/अपीलार्थीगणो को दोषी ठहराने में कोई अवैधता धारित नहीं की है, यद्यपि आरोप उस धारा के तहत नहीं बल्कि भा. दं. सं. की धारा 306 के तहत विरचित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. तदनुसार, भा. दं. सं. की धारा 498-ए के तहत आरोपी/ अपीलार्थीगणो की दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है, इसे बरकरार रखा जाता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1993 में घटी थी और आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 1, लगभग 50 दिनों से जेल में है जबकि आरोपी/अपीलकर्ता क्रमांक 2, एक महिला है, यह न्यायालय का सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित दण्ड को दो साल के सश्रम कारावास से घटाकर छह महीने कर दिया जाए।

13. तदनुसार आदेश दिया जाता है।

14. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगणो को भा. दं. सं. की धारा 498-ए के तहत ठहराया गया सिद्धदोष, अपरिवर्तित रहेगा और दण्ड को ऊपर बताई गई अवधि तक कम किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर हैं,

इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर संशोधित दण्ड का शेष भाग भोगने के लिए जेल भेजा जाए।

सही/-

प्रितींकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur